the Gopal Singh Committee, the representation of Muslim minorities in the services of the Government of India is very low. For example, in Grade I services, their representation accounts only for 1.6 per cent. Even in Class IV services, their representation accounts only for 5.8 per cent. This being the case, what programmes, affirmative action programmes, does the Government propose to embark upon to see that the minorities are more properly represented in Government services, through special education programmes and other things?

MR. CHAIRMAN: The question really is about corporations and banks. It is a much larger issue. Would the Minister like to answer it?

SHRI SITARAM KESRI: Still, I want to answer.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, if the supplementary is irrelevant, why should he answer it?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, इन्होंने एक पोलिटिकल क्वेश्चन किया है । यह क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है मगर फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट है उसकी लाइट में हमने यह पहल की है और श्री राजीव गांधी जी ने 1988 में वेल्फेयर डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया कि इस तरह का प्लान बनाओ (व्यवधान) यह प्लान बनाया है ।

दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है, इस सुझाव को हम रचनात्मक मानते हैं और उस पर हम विचार करेंगे ।

Amendments in Mines and Minerals regulation and Development Act

*165. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the urgent need to amend the MMRD Act so as to encourage foreign investments in exploration and exploitation of minerals both in captive and non-captive mines;

(b) if so, what steps Government have taken so far;

(c) whether Government have received any suggestions from the Federation of Indian Mineral Industries; and

(d) if so, the details thereof and the action taken thereon?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन

(क) और (ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) फैडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज से सुझाव प्राप्त हुये हैं । मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:-

(1) पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी०एल०)/ खनन पट्टे (एम०एल०) को समय पूर्व समाप्त करना हटा दिया जाना चाहिये ।

(2) धारा 4(क) (4) के अन्तर्गत पट्टे के कालबधित (लैप्स) होने की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाए ।

(3) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 6 के अधीन पी०एल०/एम०एल० के लिये क्षेत्र की सीमा का निर्धारण अलग-अलग राज्य के लिये किया जाना चाहिये पूरे देश के लिये नहीं ।

(4) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 7 के अधीन पी०एल० की मंजरी/नवीकरण को बढ़ाकर दो वर्ष किया जाए।

(5) कोयले, लौह अयस्क तथा बाक्साइट के लिये खनन पट्टे की मंजूरी की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष किया जाना चाहिये।

(6) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन खनन पट्टे के नवीकरण की अवधि उतनी अवधि के लिये बढ़ाई जाय जितनी अवधि के लिये खनन पट्टा मंजूर किया गया है।

(7) अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन निर्धारित रायल्टी का संशोधन पांच वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये।

(8) खनिजों को लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये।

ये सुझाव विचाराधीन है।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, यह जो प्रश्न मैंने पूछा है यह एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर है। माइनिंग इंडस्ट्री हमारे देश में इस समय बड़े कठिन दौर से गुजर रही है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह उद्योग एक बड़ी क्राइसिस में है। उसका कारण यह है कि इसके अन्दर जिस प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया गया है उनके परिणाम स्वरूप इस समय माइनिंग इंडस्ट्री की विकास दर प्रतिवर्ष घटती जा रही है बजाए बढ़ने के। माइनिंग इंडस्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखती है और उन क्षेत्रों में क्षमता रखती है जो पिछड़े हुये हैं या जंगलों में हैं या बैकवर्ड स्टेट्स में है। उन स्टेट्स में एंप्लायमेंट जेनरेशन करने की क्षमता इस माइनिंग इंडस्ट्री में है। लेकिन महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क से कम वह इस बात का उत्तर दें कि क्या जिस प्रकार का व्यवधान या जिस प्रकार की रुकावटें या जो कानून के अन्दर अड़चनें पैदा हुई हैं जिसके कारण माइनिंग इंडस्ट्री धीरे-धीरे विकास दर और अवनति की ओर बढ़ रही है, उसका उन्होंने क्या समाधान निकाला है या क्या उचित संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है और यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि देश के अन्दर जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिये, देश में उद्योगों को रा-मैटीरियल उत्पन्न कराने की दिशा में और देश के अन्दर जो अन-एंप्लायमेंट है उसकी समस्या को हल करने के लिये जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसकी अपनी विशष भूमिका है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जो कायदे कानून कुछ ऐसे हैं कि जो माइनिंग इंस्ट्रीज की प्रगति में मौजूदा हालात में जो इंदस्ट्रियल और हमारी इकोनोमिक पालिसी है जो उसमें परिवर्तन किये गये हैं उसके अनुरूप बनाने के लिये जो आप का सुझाव है कि वह जो कानून हैं उनका कुछ सरलीकरण किया जाय ताकि माइनिंग इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत मिलें, इस संबंध में मान्यवर, काफी विचार-विमर्श करने के बाद एम.एम.आर.डी. एक्ट में संशोधन करने का विचार सरकार कर रही है और शीघ्र ही मंत्री परिषद में इस मामले को ले जाकर और जो भी कुछ किया जा सकता है माइनिंग इंडस्ट्रीज के हित में और इस देश के हित में वह करने का विचार सरकार कर रही है।

श्री रामदास अग्रवाल : मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का दूसरा भाग है कि आपने यह कहा कि अन्य उद्योग... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Is this your second supplementary?

SHRI RAMDAS AGARWAL: No, Sir. As I have already said, this was first part of my question.

सैकण्ड पार्ट आफ माई क्वश्चन इज, माननीय मंत्री जी आपने कहा कि उदारीकरण बाकी क्षेत्रों में हो रहा है लेकिन माइनिंग क्षेत्र में उदारीकरण की शुरुआत माइनिंग पालिसी से होनी थी लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी इस सैक्टर में जिसको आपने स्वयं स्वीकार किया है कि अर्थ रचना में इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, भागीदारी है, तो इस क्षेत्र को जो माइनिंग पालिसी दी जानी थी जिसके कारण उसकी विकास दर को आगे बढ़ना था, वह माइनिंग पालिसी अभी तक आपने घोषित क्यों नहीं की है और यदि उसको आप घोषित करेंगे तो क्या आपने कुछ निर्णय लिये हैं? जिसमें अगर आपने माइनिंग पालिसी को कोई फैसला किया है तो वह पालिसी आप कब घोषित करने वाले हैं? यह मेरे पहले प्रश्न का दूसरा भाग है।

श्री बलराम सिंह यादव: मान्यवर, इधर हमारी सरकार ने इंडस्ट्रियल और ट्रेड पालिसी में व्यापक परिवर्तन लाये हैं। आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि उसी के अनुरूप हम जो माइनिंग इंडस्ट्री हैं उसे लायें और इसलिये आवश्यकता इस बात की समझी गई कि हम नई माइनिंग पालिसी भी इस देश के अंदर लाएं। एम०एम०आर० डी० एक्ट है उस माइनिंग पालिसी के अनुरूप उस एम०एम०आर०डी० एक्ट में भी संशोधन करें। तो माइनिंग पालिसी फाईनल हो गई है। उसका मंत्रिपरिषद् से एप्रूवल मिल गया है और आज ही मैं दोनों सदनों में माइनिंग पालिसी टेबल पर करने जा रहा हूं।

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please put your third supplementary and stop.

SHRI RAMDAS AGARWAL: Sir, I am asking a very important question.

MR. CHAIRMAN: But make it short.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, it is the third part of the first supplementary.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैं इस उद्योग से तीस साल से संबंधित हूं। इसलिये इसके अन्दर आने वाली कठिनाइयों के बारे में मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव है। इसलिये मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि क्षेत्र के अन्दर आपने एक ऐसे कानून का प्रावधान किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आज ही पालिसी सदन के पटल पर रखने वाले हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइनिंग प्लान बनाने के लिये आपने जो प्रावधान किया है, उसमें एक संशोधन आपको अवश्य ही करना चाहिये और उसका आश्वासन मैं आपसे चाहूंगा कि माइनिंग प्लान सबमिट करने का जो तरीका आपने एडाप्ट किया है, उसमें जब तक किसी को माइनिंग लीज या पी०एल० ग्रांट नहीं हो जाता है तब तक... (व्यवधान) माइनिंग प्लान को देने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। यह आप अगर आश्वासन देंगे तो मेरा प्रश्न है कि यह संशोधन जो आप करना चाहते हैं, उसमें यह संशोधन आप ला रहे हैं?

श्री बलराम सिंह यादव: महोदय, इधर राज्य सरकारों से और "फिमी" से बहुत सारे सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं और हो सकता है कि जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है वह भी उसके अन्तर्गत हो। तो इन सभी सुझावों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और इंडस्ट्री के हित में जो भी आवश्यक होगा, वह हम करेंगे।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, nowadays, the Government is thinking of more and more exports and this export-oriented policy is certainly

hampering the domestic consumption. I am concerned about the granite export from the country. As far as minerals are concerned, I agree. But granite is also considered as a mineral and a large quantity of granite is going out of the country which has affected the domestic construction activities. Even the houses built under Indira Awas Yojana, Janata Houses Scheme and Ashraya Scheme and even the low-cost houses have become very costly. An ordinary employee can not build his house because the cost has risen due to the export of granite on a large scale. Will the Minister whenever he frames the policy or amends this Act, take into consideration the domestic consumption also? Why should I pay more? Is it because the granite is being exported? At least I should be protected. My house should be cheap. Why should the domestic consumers be made to pay more because of granite going out of the country at a higher cost? Will the Minister take into consideration this while amending the Act and protect the interest of domestic consumers?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, ग्रेनाइट अभी तक मायनर मिनरल में आता है और इसका लीज और इसका प्रोस्पेक्टिंग लायसेंस, यह सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है । अब जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि ग्रेनाइट देश में लोगों को नहीं मिल पाता.... (**व्यवधान**)....

श्री हेच० हनुमनतप्पा : कॉस्टली हो गया है ।

श्री बलराम सिंह यादव : कॉस्टली हो गया है, गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिये इसका एक्सपोर्ट रोक दिया जाना चाहिये या उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं । मान्यवर, आज हमारे देश को जरूरत है कि हम अधिक-से-अधिक फॉरेन एक्सचेंज कमायें और जो चीज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने देश से, वह हम एक्सपोर्ट करें । तो जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है इस पर विचार करूंगा कि इसमें क्या हो सकता है क्योंकि यह सब निर्णय लेने से पहले हमको या सरकार को सभी संबंधित राज्य सरकारों से भी राय लेनी पड़ती है, सबके सुझाव लेने पड़ते हैं । तो इस बारे में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण कि यह बाहर जाता है और इसे पर रोक लगाई जानी चाहिये, इससे मैं सहमत नहीं हूं ।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, the main thrust of the new policy of the Government is that the Government should encourage exports of value-added products and discourage... (*Interruptions*)... And we would discourage the export of crude or raw material. Sir, the Government has said that we have to encourage the exports of value added products. The hon. Prime Minister also declared from the Red Fort that we have to encourage this system of trading. Sir, instead of discouraging the exports of raw materials especially of iron-ore, the Government has given incentives to this industry. The Government has also exempted export of iron-ore from tax. In my State of Goa the mine-owners are saving Rs. 150 crores. Recently, the Government has also exempted 5 per cent duty on export of foreign trade. I would like to know from the hon. Minister whether he will introduce a mechanism to see that export of raw material is discouraged in the proposed legislation.

श्री बलराम सिंह यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है । इस पर विचार करेंगे ।

श्री सभापति : : श्री गयाराम, गया सिंह, सौरी ।

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, ... (**व्यवधान**)...

श्री संघप्रिय गौतम : सर, हरियाणा में होता है गयाराम और आयाराम, हरियाणा में... (**व्यवधान**)...

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, अभी जो उन्होंने बताया, माइनिंग इंडस्ट्रीज हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह मुख्य रूप से पिछड़े हुये ट्राइबल्स एरिया में है, लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने बताया माइनिंग इंडस्ट्रीज में आजादी के बाद कई एरिया में हमारा विकास हुआ, उसका प्रोस्पेक्टिंग हुआ। अभी काफी डिप हो गया और बगल में में उसके विकास के लिये जो कई आइटम्स हैं, वह नहीं कर रहे हैं और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा हम ज्यादा अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी सस्ते में और दूसरी ओर ह: इंपोर्ट कर रहे हैं सेम मेटेरियल, सेम ग्रेड का मेंटेरियल, कई इंडस्ट्रीज में जहां रा-मैटेरियल है वह काफी महंगे में ह: इंपोर्ट कर रहे हैं और देश के अन्दर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिये मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, खासतौर से स्टील इंडस्ट्रीज में हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहां कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जिनका विकास नहीं कर रहे हैं, तो आप उस ओर क्या ध्यान दे रहे हैं? दूसरी ओर बिहार की कई ऐसी इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज तो काफी डिप हो गई सिंहभूमि में, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था आपसे और आज बगल में वह जो इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री मिली है वहां, चार साल से आप सोच रहे हैं, उस को चालू नहीं किया।

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, स्टील के बारे में तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिये कि हमारा विषय नहीं है। मगर, इतना जरूर मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इधर जो हम नई पालिसी ला रहे हैं या एम०एम०आर०डी० एक्ट में हम जो संशोधन लाने पर विचार कर रहे हैं, उनकी भावनाओं, का जब हम निर्णय लेंगे तो जरूर उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे।

*166. [*The Questioner (Shrimati Basanti Sarma, was absent. For answer, vide col.....infra.*]

Text Books for IX Standard in West Bengal

*167. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the "Telegraph" (Cal.) of February 8, 1993 under the caption "Commercial bias in West Bengal textbook" referring to "Hindustan Ki Tareekh" prescribed for class IX by West Bengal Board of Secondary Education for Urdu medium schools in the State which contains derogatory remarks against Guru Tegh Bahadur; and

(b) If so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

Text Books for IX Standard in West Bengal

As per information received from the Government of West Bengal, the book entitled 'Hindustan Ki Tarrekh' referred to in the news item appearing in the newspaper 'The Telegraph' dated 8.2.93, has not been approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a textbook. Both the NCERT and the National Steering Committee set up by the Ministry of Human Resource Development to review the school textbooks from the standpoint of national integration have opined that the book presents an inaccurate and distorted version of many aspects of medieval history.

The National Steering Committee has, in its meeting held on 30-31-1.93 recommended, *inter alia* that textbooks which are not authorised should not be allowed to be used in